[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2014 का विधेयक संख्यांक 6

[दि दिल्ली हाई कोर्ट ऐक्ट, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

# दिल्ली उच्च न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2014

**दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 5 का संशोधन ।

1966 का 26

**2.** दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (2) में "बीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त 1918 के पंजाब अधिनियम 6 का संशोधन ।

**3.** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 25 में, "बीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

मुख्य न्यायमूर्ति की अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित वादों और कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने की शक्ति ।

**4.** दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में लंबित है या हैं, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में ऐसे अधीनस्थ न्यायालय को स्थानांतरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता होती, यदि ऐसे वाद या कार्यवाहियां ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रथम बार में संस्थित या फाइल की गई होती ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय को ऐसे वादों की बाबत मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, जिनका मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक है । दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली के जिला न्यायालयों की धन संबंधी अधिकारिता का अंतिम पुनरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा वर्ष 2003 में पांच लाख रुपए से बीस लाख रुपए किया गया था ।

2. वर्तमान में, लघु संपत्ति से संबंधित मामले भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल करने की आवश्यकता होती है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास बीस लाख रुपए या उससे अधिक के मूल्य वाले सिविल वादों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है । इससे दिल्ली उच्च न्यायालय पर कार्यभार बढ़ गया है और दूसरी तरफ दिल्ली में रहने वाली गरीब जनता को अपने मामलों में न्याय मांगने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय तक जाने के लिए अत्यधिक दूरी तय करनी होती है ।

3. दिल्ली के बार एसोशिएसनों की समन्वय समिति ने विभिन्न मंचों पर दिल्ली के जिला न्यायालयों की धन संबंधी अधिकारिता को बढ़ाने का अनुरोध किया है । राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की बार एसोशिएसनों के अनुरोध पर विचार किया है और केंद्रीय सरकार से दिल्ली उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की धन संबंधी अधिकारिता को विद्यमान बीस लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है ।

4. तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 का संशोधन करके दिल्ली उच्च न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता को बीस लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने का विनिश्चय किया गया है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**11 फरवरी, 2014**

**कपिल सिब्बल**

उपाबंध

## दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * * *

दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।

**5.** (1) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, दिल्ली उच्च न्यायालय की उक्त राज्यक्षेत्र की बाबत प्रत्येक वाद जिसका मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो मामली आरंभिक सिविल अधिकारिता भी होगी ।

* * * * * *

## पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * * *

वादों में जिला न्यायाधीश की आरंभिक अधिकारिता ।

**25.** तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास ऐसे प्रत्येक आरंभिक सिविल वाद में अधिकारिता होगी, जिसका मूल्य बीस लाख रुपए से अनधिक है ।

* * * * * *



GMGIPMRND—4352RS(CRC)—12.02.2014